भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3294
सोमवार, 9 अगस्त, 2021/18 श्रावण, 1943 (शक)

शिक्षित और अशिक्षित ग्रामीण और शहरी युवा

3294. श्रीमती गीता कोडाः
श्री ज्योतिर्मय सिंह महतोः
श्री दिलेश्वर कामैतः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष में प्रत्येक वर्ष के दौरान रोजगार कार्यालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित राज्य-वार और लिंग-वार कितने शिक्षित और अशिक्षित ग्रामीण और शहरी युवा पंजीकृत हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार, श्रेणी-वार और लिंग-वार कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया; और

(ग) सरकार द्वारा वर्तमान वर्ष और आगामी वर्षों के दौरान उक्त वंचित वर्गों के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) एवं (ख): राज्यों/संघ राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, रोजगार चाहने वालों, जिसमें यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, जिन्होंने रोजगार कार्यालयों में अपना पंजीकरण कराया और देश के रोजगार कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध सीमा तक नियोजन प्राप्त किया, की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और श्रेणी-वार संख्या, का विवरण अनुबंध **I**, और **II** में दिया गया है।

(ग): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों एवं अल्पसंख्यक समुदायों हेतु सहित रोजगार का सृजन करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जाति (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आय सृजन गतिविधियों और कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए अनुसूचित जाति उप योजना (एससीए से एससीएसपी) को विशेष केंद्रीय सहायता, राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों (एससीडीसी) को सहायता, अनुसूचित जातियों हेतु उपक्रम पूंजीगत निधि (बीसीएफ-एससी) जैसी योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। मंत्रालय के तहत निगम भी नामतः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी) एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनवीसीएफडीसी) स्व-रोजगार को बढ़ावा देते हैं और इन वंचित वर्गों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन को बढ़ाते हैं।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए ब्याज की रियायती दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करके कार्य करता है।

अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय रोजगारोन्मुखी योजनाओं जैसे सीखो और कमाओ, उस्ताद, नई मंजिल और नई रोशनी के माध्यम से 6 केंद्रीय अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों की नियोजनीयता और कौशल उन्नयन में वृद्धि के लिए कार्यक्रमों/योजनाओं को भी कार्यान्वित करता है।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारे एवं उत्पादक से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) योजना जैसे सरकार के फ्लैगशीप कार्यक्रमों में देश के वंचित वर्गों सहित उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावना है।

*****

अनुबंध-I

लोक सभा के दिनांक 09-08-2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3294 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

देश में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर उपलब्ध सीमा तक पंजीकृत रोजगार चाहने वालों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और श्रेणी-वार विवरण ।

(हजार में)

क्र,सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार	अनुसूचित जाति (अजा)		अनुसूचित जनजाति (अजजा)		अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017
1	आंध्र प्रदेश	255.88	257.80	40.90	46.50	385.72	415.78
2	अरुणाचल प्रदेश	1.36	1.39	29.28	31.66	1.07	1.08
3	असम	122.02	133.73	273.99	286.20	318.91	332.97
4	बिहार	109.90	109.59	8.36	8.47	247.52	247.18
5	छत्तीसगढ	173.29	185.93	371.23	393.47	434.01	488.04
6	दिल्ली	90.11	90.11	19.94	19.94	27.32	27.32
7	गोवा	3.38	3.38	5.443	5.443	11.26	11.26
8	गुजरात	107.21	101.38	81.46	79.71	6.35	6.32
9	हरियाणा	189.34	175.80	0.03	0.04	50.80	48.85
10	हिमाचल प्रदेश	198.05	201.90	45.97	45.52	91.72	97.51
11	जम्मू और कश्मीर	6.22	6.22	4.93	4.93	1.19	1.19
12	झारखंड	65.77	64.76	89.66	85.06	156.00	159.79
13	कर्नाटक	101.29	101.77	23.37	23.36	14.99	15.08
14	केरल	625.63	616.54	44.37	45.98	1587.33	1525.36
15	मध्य प्रदेश	290.99	306.95	248.04	254.65	491.26	537.48
16	महाराष्ट्र	549.60	544.75	133.01	132.83	932.57	921.34
17	मणिपुर	9.54	8.91	233.12	226.60	19.31	18.09
18	मेघालय	0.09	0.08	34.06	34.83	0.05	0.02
19	मिजोरम	0.00	0.00	32.87	37.95	0.00	0.00
20	नागालैंड	0.21	0.21	67.05	66.18	0.00	0.00
21	ओड़िशा	193.55	192.37	157.13	157.49	124.26	125.51
22	पंजाब	108.97	107.26	0.00	0.00	10.16	11.40
23	राजस्थान	115.30	123.47	73.87	74.76	202.15	224.95
24	सिक्किम*	-	-	-	-	-	-
25	तमिलनाडु	1801.71	1816.17	66.03	66.46	4882.16	4976.79
26	तेलंगाना	266.40	266.61	107.33	104.44	314.32	317.19
27	त्रिपुरा	99.91	100.85	130.79	131.66	45.79	46.61
28	उत्तराखंड	141.78	138.01	34.31	32.55	97.17	90.95
29	उत्तर प्रदेश	551.61	493.52	5.43	5.45	818.80	787.00
30	पश्चिम बंगाल	921.13	920.49	193.53	193.10	284.34	283.88
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	1.62	1.62	8.56	8.56
32	चंडीगढ़	5.82	6.07	0.26	0.10	1.84	2.02
33	दादर एवं नगर हवेली	0.41	0.41	3.74	3.74	0.22	0.22
34	दमन और दीव	0.56	0.56	0.24	0.24	1.28	1.28
35	लक्षद्वीप	0.00	0.00	7.32	7.32	0.00	0.00
36	पुदुचेरी	28.32	28.78	0.16	0.16	78.21	90.34
	सकल योग	7135.34	7105.78	**2568.83**	2608.41	**11646.63**	11821.35

नोट: *इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है;

हो सकता है कि पूर्णांकन के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं।

स्रोत: रोजगार महानिदेशालय द्वारा संकलित रोजगार कार्यालय सांख्यिकी,

राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के आधार पर एमओएलईएंडई।

शून्य आंकड़ों में ऐसे मामले शामिल हैं जहां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र-वार से कोई अंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं।

अनुबंध **II**

लोक सभा के दिनांक 09-08-2021 के आतारांकित प्रश्न संख्या 3294 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

देश में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध सीमा तक नियोजित रोजगार चाहने वालों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और श्रेणी-वार विवरण।

(संख्या में)

क्र,सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**अनुसूचित जाति (अजा)**		**अनुसूचित जनजाति (अजजा)**		**अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)**	
		2016	**2017**	**2016**	**2017**	**2016**	**2017**
1	आंध्र प्रदेश	79	26	6	10	66	43
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3	असम	3	2	93	54	15	46
4	बिहार	0	0	0	0	0	0
5	छत्तीसगढ	46	59	39	38	44	151
6	दिल्ली	0	0	0	0	0	0
7	गोवा	0	0	0	0	0	0
8	गुजरात	18725	29082	24124	30924	136	129
9	हरियाणा	75	6	0	0	0	1
10	हिमाचल प्रदेश	137	224	53	64	95	275
11	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0
12	झारखंड	406	493	818	1599	1101	1081
13	कर्नाटक	23	23	8	7	9	10
14	केरल	1044	816	180	95	2321	2091
15	मध्य प्रदेश	3	0	0	0	0	0
16	महाराष्ट्र	7281	50	1360	149	2386	157
17	मणिपुर	0	3	0	39	0	9
18	मेघालय	0	0	3	10	0	0
19	मिजोरम	0	0	17	33	0	0
20	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
21	ओड़िशा	35	30	60	35	20	85
22	पंजाब	74	57	0	0	30	26
23	राजस्थान	9	5	3	23	6	58
24	सिक्किम*				-		-
25	तमिलनाडु	1052	133	105	2	1978	488
26	तेलंगाना	69	31	31	3	272	33
27	त्रिपुरा	0	9	0	14	0	6
28	उत्तराखंड	53	13	0	1	53	10
29	उत्तर प्रदेश	22	27	0	0	68	39
30	पश्चिम बंगाल	3	0	1	0	0	0
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0
32	चंडीगढ़	26	17	0	0	19	11
33	दादर एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
34	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
36	पुदुचेरी	14	153	0	0	45	293
	सकल योग	**29179**	**31259**	**26901**	**33100**	**8664**	**5042**

नोट: *इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है;

स्रोत: रोजगार महानिदेशालय द्वारा संकलित रोजगार कार्यालय सांख्यिकी,

राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के आधार पर एमओएलईएंडई।

शून्यः आंकड़ों में ऐसे मामले शामिल हैं जहां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कोई आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं।